(13)

सहायक अभियन्ता, /EE/SE

कृपया गत नोटशीट पृष्ठ पर नगर नियोजन की आख्या दिनांक 15.07.2023 का अवलोकन करने का कष्ठ करें। नियोजन अनुभाग की उक्त आख्या में अवगत कराया गया है कि "भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड हेतु भू–आच्छादन 40 प्रतिशत व एफ0ए0आर0 1.50 अनुमन्य है। उपविधि तालिका में निर्दिष्ट उक्त एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त ग्रुप हाऊसिंग के लिए नियमानुसार क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा। विकसित क्षेत्र में 24.00 मी0 एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ0ए0आर0 1.50 का 50 प्रतिशत 0.75 अर्थात कुल एफ0ए0आर0 2.25, क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित भवन उपविधि में वर्णित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य किया जा सकता है। उक्त भूखण्ड सं0–4 प्राधिकरण द्वारा विकसित कालिन्दी कुंज योजना के अन्तर्गत स्वः वित्त पोषित संसाधनों से ग्रुप हाऊसिंग का निर्माण कराया जाना है। प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें यथा सड़के, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज विद्युत आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र मानकों के अनुसार उपलब्धता तथा क्षेत्र के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत होने के आधार पर ग्रुप हाऊसिंग का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।"

खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालिन्दी कुंज आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं0– 4 पर प्रस्तावित उक्त योजना की ड्राइंग व डिजाइन फर्म M/S Baseline Architects द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत मानचित्र में सेटबैक, पार्किंग नियमानुसार है तथा भू आच्छादन 33.772 प्रतिशत व एफ0ए0आर0 2.248 मानकों व अनुमन्यता के अनुसार प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं0–4, कालिन्दी कुंज आवासीय योजना, खुर्जा पर प्रस्तावित योजना के मानचित्र ड्रांइग व डिजाइन के अनुमोदनार्थ संस्तुति सहित आख्या अग्रसारित है।

JE 10.7.2023

AE 10/07/23

18.07.2023

SE.

V.C.

कृ. उपरोक्तानुसार स्वीकृतार्थ।

10/7/23 SE/TP

Scanned with CamScanner